



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/इंजी.
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
OFFICE OF THE
GENERAL MANAGER/ ENGG.
N.E. RAILWAY, GORAKHPUR

संख्या — डब्लू/68/विज/कान्फीडे./भाग-॥/डब्लू-3सा0

दिनांक 18.11.2024

मण्डल रेल प्रबन्धक/पूर्वोत्तर रेलवे,
इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी।

पद्धति सुधार

विषय :- Misallocation of funds-Reg.

संदर्भ :- उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी0, पूउरे0/गोरखपुर का पत्र
सं0-Z/13/SS/2023/Comp/03/CVC/08 दिनांक 01.11.2024

यह पाया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक अधिकारी ने अपने चैंबर के निर्माण के लिए सार्वजनिक सुविधा के लिए चल रहे अन्य अनुबन्धों/कार्यों के संसाधनों का अनुचित उपयोग किया, इस सम्बन्ध में सीवीसी द्वारा दिये गये दिशा निर्देश निम्नवत हैं:-

“The misallocation of funds not only constitutes a serious breach of financial integrity but also underscores the necessity for bolstering oversight mechanisms within the system to prevent such occurrences and promptly detect such irregularities.”

अतः सतर्कता विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 01.11.2024 के आलोक में सभी मण्डलों/इकाईयों को यह निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो तथा उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

(आशीष श्रीवास्तव)
मुख्य इंजीनियर/कार्य
कृते महाप्रबन्धक/इंजी

- प्रतिलिपि:- 1. उप मुसताधि/इंजी0/पूउरे0/गोरखपुर को संदर्भित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरि0मण्डल इंजी0/समन्वय, पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर, लखनऊ एवं वाराणसी।
3. उप मुख्य इंजीनियर/गो0क्षे0, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर एवं उप मुई0/लाईन/पुल/पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।
4. मुप्रअ0/निर्माण/पूउरे0/गोरखपुर।

18.11.2024
कृते महाप्रबन्धक/इंजी